इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 13 अंक संख्या: 7 फरवरी, 2021 पृष्ठों की संख्या 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ---------- 4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 5
विनियामकों के कथन ----------6
आर्थिक संवेष्टन ----------7
विदेशी मुद्रा ----------9
शब्दावली----------10
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- -11
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---------- 11
संस्थान समाचार ----------**12**
नयी पहलकदमी ----------15
बाजार की खबरें ----------16

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

3 से 5 फरवरी, 2021 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक की मुख्य विशेषतायें

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की वर्तमान वित्तीय वर्ष की अंतिम बैठक 3 से 5 फरवरी, 2021 तक आयोजित हुई। उक्त बैठक के मुख्य निर्णय निम्नानुसार रहे :

- नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर और प्रति-पुनर्खरीद (reverse) दर क्रमश: 4% और 3.5% पर अपरिवर्तित रही।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित रही।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) 27 मार्च, 2021 से प्रारम्भ होने वाले रिपोर्टिंग सप्ताह से 3.5% तथा 22 मई, 2021 से प्रारम्भ होने वाले रिपोर्टिंग सप्ताह से 4% पर दो चरणों में कायम रखा जाएगा।
- दबावग्रस्त क्षेत्रों को वृद्धिशील उधार देने हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को सदा-सुलभ (on-tap) टिल्ट्रो (TILTRO) योजना में शामिल किया जाएगा।
- बैंकों को सीमांत स्थायी सुविधा 30 सितंबर, 2021 तक उपलब्ध कराई जाती रहेगी।
- सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) के तहत बढ़ी हुई परिपक्वता तक धारित (HTM) श्रेणी वाली विस्तारित व्यवस्था को 31 मार्च, 2021 तक जारी रखा

जाना।

- बैंकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रदत्त नए ऋण को उनकी निवल मांग और सावधि देयता (NDTL) में से घटाने की अनुमति होगी।
- पूंजी संरक्षण भंडार (CCB) की अंतिम शृंखला (tranche) के कार्यान्वयन तथा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (NSFR) के कार्यान्वयन को 1 अक्तूबर, 2021 तक की छ: माह की एक और अवधि तक स्थगित रखा जाना।

खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार तक सीधी पहुँच उपलब्ध होगी

भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों में पहुँच को संभव बना दिया है- यह एक ऐसा कदम है जो गवर्नर शक्तिकान्त दास की मान्यता के अनुसार भारत में बांड बाजार की गतिशीलता को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ढांचागत सुधार होगा और शायद भारतीय बाँड़ों को वैश्विक शेयर बाज़ारों में सूचीबद्ध करवा कर विदेशी निवेशकों की तलाश करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। सीधी पहुँच से घरेलू बांड निवेश से संबन्धित वर्तमान नीतियों से अधिक समझौता किए बिना निवेशक आधार को व्यापक बनाने में सहायता भी प्राप्त होगी। खुदरा निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से प्राथमिक एवं गौण बाजार के क्रय-विक्रय (व्यापार) में सीधे सहभागिता कर सकेंगे। इसकी कार्यप्रणालियों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक के कालेज आफ सुपरवाइजर्स के लिए उसकी शैक्षिक सलाहकार परिषद

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कालेज आफ सुपरवाजर्स (CoS) के पूर्णकालिक निदेशकों को सलाह देने के लिए एक शैक्षिक (अकादमिक) सलाहकार परिषद का गठन किया है। उक्त परिषद के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता होगी जिनमें कौशल-निर्माण/कौशल उन्नयन, सभी कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या की आयोजना तैयार करने और विकसित करने, उन कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों/उत्तम प्रथाओं के समरूप बनाने, उपयुक्त शिक्षण पद्धतियाँ विकसित करने आदि जैसे उपाय करने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व उप गवर्नर एन॰ एस॰ विश्वनाथन उक्त परिषद के अध्यक्ष होंगे,

जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक रबी नारायण मिश्र उसके निदेशक होंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड को पात्र रेटिंग एजेंसी (CRA) के रूप में मान्यता प्रदान की

साख श्रेणी निर्धारण कंपनी भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (CRISIL) की आंतरिक रूप से पुनरसंरचना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप उसने भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड के साख-निर्धारण व्यवसाय को क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड को अंतरित कर दिया है। भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (CRISIL) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास पंजीकृत अन्य साख-निर्धारण एजेंसियों के साथ ही पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन हेतु बैंकों के दावों के जोखिम भारांकन के उद्देश्य से मान्यता प्रदान की गई थी। क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड के मामले में दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक साख श्रेणी निर्धारणों के लिए रेटिंग जोखिम निरूपण (मैपिंग) तथा क्रिसिल लिमिटेड द्वारा आबंटित रेटिंग्स के प्रतीक (symbols) अपरिवर्तित हैं।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक पेंशन की वसूली से संबन्धित परिपत्रों को वापस लिया

यह महसूस करने बाद कि पेंशनभोगियों से अधिक अथवा गलत पेंशन भुगतानों की वसूली वर्तमान दिशानिर्देशों अथवा न्यायालय के आदेशों के गैर-अनुपालन वाली रीति से की जा रही है भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त मुद्दे को संज्ञान में लिया और यह निर्णय किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी और बैंक खाता विभाग द्वारा जारी एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए अधिक पेंशन के भुगतानों की वसूली से संबन्धित तीनॉ परिपत्र 21 जनवरी, 2021 से वापस लिए हुये माने जाएँ। अब एजेंसी बैंक पेंशनभोगियों को किए गए किसी अतिरिक्त/बेशी पेंशन भुगतान को वसूल करने हेतु कौन -सी प्रक्रिया

अपनाई जाए इस संबंध में मार्गदर्शन संबन्धित पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकरण से प्राप्त करेंगे। जहां अधिक पेंशन भुगतान से संबन्धित मुद्दा बैंक की गलती के कारण उठा हो, वहाँ अतिरिक्त रकम उसका पता लगने के तत्काल बाद और पेंशनभोगियों से किसी रकम की वसूली की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को एकमुश्त वापस की जानी होगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि का परिचालन शुरू किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान संकेन्द्रण के साथ टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के केन्द्रों में भुगतान स्वीकृति की मूलभूत सुविधा के अभिनियोजन को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि (PIDF) का परिचालन प्रारम्भ कर दिया है। भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि का प्रबंधन करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बी॰ पी॰ कानूनगो की अध्यक्षता में एक एक सलाहकार परिषद (AC) का गठन किया गया है। उक्त निधि दो और वर्षों के लिए विस्तारित किए जाने की संभावना के साथ 1 जनवरी, 2021 से तीन वर्षों के लिए परिचालनीय होगी। वर्तमान में भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि की मूल पूंजी 345 करोड़ रुपए है, जिसमें 250 करोड़ रुपए का अंशदान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तथा 95 करोड़ का अंशदान देश के बड़े प्राधिकृत कार्ड नेटवर्कों द्वारा किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक आरटीजीएस/नेफ्ट में बड़े मूल्य वाले लेनदेनों के लिए विधिक संस्था/कंपनी अभिनिर्धारक की शुरुआत करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल, 2021 से कंपनियों/संस्थाओं (व्यक्ति-इतर) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुये किए जाने वाले 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक के सभी भुगतान लेनदेनों के लिए विधिक संस्था /कंपनी अभिनिर्धारक (LEI) प्रणाली की शुरूआत करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल सकल भुगतान/निपटान प्रणाली (RTGS)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण प्रणाली (NEFT) में सहभागिता करने वाले सदस्य बैंकों से बड़े मूल्य (50 करोड़ रूपये

और उससे अधिक) वाले लेनदेन करने वाली संस्थाओं/कंपनियों यह सलाह देने के लिए कहा है कि यदि उन्होंने पहले से यह सुविधा नहीं प्राप्त कर रखी है, तो उसे समय से प्राप्त कर लें। सदस्य बैंकों को विप्रेषक और लाभार्थी विधिक संस्था/कंपनी से संबन्धित सूचना को तत्काल सकल भुगतान/निपटान प्रणाली/ राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण प्रणाली के भुगतान संदेशों में शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें तत्काल सकल भुगतान/निपटान प्रणाली और अथवा राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण प्रणाली के माध्यम से किए जाने वाले 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक के सभी लेनदेनो के रिकार्ड रखने होंगे।

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश : आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों को वैश्विक उत्तम प्रथाओं से संरेखित करें

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से उनके आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BCBS) द्वारा जारी हिदायतों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय उत्तम प्रथाओं से संरेखित करने हेतु कहा है। मार्गदर्शक नोट में जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (RBIA) कार्य के बारे में मूलभूत दृष्टिकोण निर्धारित किए गए हैं। बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण में एकरूपता लाने और उसके साथ ही आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य से संबन्धित अपेक्षाओं को उत्तम प्रथाओं से संरेखित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें प्राधिकार, महत्ता और स्वतन्त्रता, सक्षमता ,स्टाफ आवर्तन, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख की नियुक्ति हेतु परिपक्वता काल, रिपोर्टिंग लाइन एवं पारिश्रमिक के संबंध में कुछेक मानदंड सूचित किए है।

विनियामकों के कथन

वृद्धि को समर्थन प्रदान करने हेतु आवश्यक कोई भी और उपाय करने के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिबद्ध : शक्तिकान्त दास

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा है कि शीर्ष बैंक वित्तीय स्थिरता के साथ कोई समझौता किए बिना वृद्धि को समर्थन प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई

भी और उपाय करने के प्रति प्रतिबद्ध है। 39वां पालखीवाला स्मारक व्याख्यान देते हुये गवर्नर ने कहा कि वैश्विक महामारी वाले चरण के दौरान मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधि को समर्थन प्रदान करना था और यह स्पष्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों से अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामारी के प्रभाव की गंभीरता से बचने में सहायता प्राप्त हुई है।

वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबन्धित आघात का बैंकों के तुलनपत्रों पर अनर्जक आस्तियों की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक दबाव पड़ेगा, इसप्रकार पूंजी में ह्रास होगा। सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों के बैंकों द्वारा सुरक्षित भंडार निर्मित किया जाना तथा पूंजी बढ़ाया जाना न केवल ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने, अपितु वित्तीय प्रणाली में आघात-सहनीयता निर्मित करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। वित्तीय स्थिरता में न केवल वित्तीय प्रणाली की स्थिरता एवं मूल्य-स्थिरता, अपितु राजकोषीय वहनीयता एवं विदेशी क्षेत्र की व्यवहार्यता का भी आवश्यक रूप से समावेश होना चाहिए।

इस बात पर बल देते हुये कि अच्छे अभिशासन का प्रभावी जोखिम प्रबंधन कार्यों एवं आश्वासन व्यवस्था द्वारा समर्थन किया जाना होगा, उन्होंने कहा कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए यह जरूरी होगा कि वे जोखिमों की समय-पूर्व पहचान करें, उन पर गंभीरता से निगरानी रखें तथा उनका प्रभावी रूप से प्रबंधन करें। आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से एक सुदृढ़ आश्वासन व्यवस्था स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित करती है और बोर्ड को इस बात के प्रति आश्वस्त करती है कि परिचालनों का निष्पादन निर्धारित नीतियों एवं कार्यविधियों के अनुसार किया गया था।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की मूल विषय-वस्तु "जीवन और आजीविका को बचाना" है। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदेशन में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज़ है। इस वर्ष का सर्वेक्षण संरोधन, राजकोषीय, वित्तीय और दीर्घकालिक ढांचागत सुधारों के चार स्तंभों पर आधारित है।

नीति निर्धारित करते समय मांग एवं आपूर्ति दोनों ही पक्षों की नीतियों के अंशांकित दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है। उक्त सर्वेक्षण में स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र और उसकी अन्य क्षेत्रों के साथ अंतर-संबद्धताओं के महत्व पर भी बल दिया गया है। इसमें वैश्विक महामारी द्वारा उपस्थित की गई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए वैश्विक वित्तीय संकट के बाद अपनाई गई विनियामक धैर्य वाली नीति का अध्ययन किया गया है। वित्तीय क्षेत्र के साथ विशिष्ट प्रासंगिकता के साथ कुछेक मुख्य विशेषताएँ नीचे उद्धृत की जा रही हैं :

- भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि 6 जनवरी, 2021 के दिन 586.1 बिलियन अमरीकी डालर के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गई, जो लगभग 18 माह के आयात मूल्य के समकक्ष है।
- 17 वर्ष की अवधि के उपरांत भारत वार्षिक रूप से चालू खाते का अधिशेष दर्ज करेगा। अप्रैल-दिसंबर, 2020 की अवधि में तिजारती वस्तु निर्यात 15.7% संकुचित होकर अप्रैल-दिसंबर, 2019 के 238.3 बिलियन अमरीकी डालर के मुक़ाबले 200.8 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। अप्रैल-दिसंबर, 2020 की अवधि में कुल तिजारती वस्तु आयात में (-) 29.1% की कमी आई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 364.2 बिलियन अमरीकी डालर के मुक़ाबले 258.3 बिलियन अमरीकी डालर रहा।
- **रुपए में मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास :** 6 मुद्राओं वाली सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (NEER) (क्रय-विक्रय/व्यापार पर आधारित भारांकों (weights)) की दृष्टि से मार्च, 2020 के मुक़ाबले दिसंबर 2020 में रुपया 4.1% मूल्यह्रासित हुआ, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) की दृष्टि से 2.9% मूल्यवर्धित हुआ। 36 मुद्राओं वाली सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (क्रय-विक्रय/व्यापार पर आधारित भारांकों) की दृष्टि से मार्च, 2020 के मुक़ाबले दिसंबर, 2020 में रुपया 2.9% मूल्यह्रासित हुआ, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर की दृष्टि से 2.2% मूल्यवर्धित हुआ।
- मार्च, 2020 से पुनर्खरीद (repo) दर में 115 आधार अंकों (BPs) की कटौती की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार के परिचालनों, दीर्घावधिक पुनर्खरीद (repo) परिचालनों, लक्ष्यांकित दीर्घावधिक पुनर्खरीद परिचालनों जैसे पारंपरिक और गैर-पारंपरिक उपायों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020-21 में प्रणालीगत

चलनिधि में अधिशेष की स्थिति बनी रही।

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात मार्च, 2020 के अंत में 8.21% से घटकर सितंबर, 2020 के अंत में 7.4% रह गया।
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जमा एवं उधार दरों की तुलना में कमतर नीतिगत दरों के मौद्रिक प्रेषण में सुधार हुआ।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के जरिये (उसके प्रवृत्त होने के समय से) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मामले में वसूली दर 45% से अधिक रही है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) -आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर, 2020 के दौरान औसतन 6.6% रही और मुख्यत: खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि (2019-20 में 6.7% से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर, 2020 के दौरान वनस्पति मूल्यों में जमावड़े के कारण) से प्रेरित होकर दिसंबर, 2020 में 4.6% हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में ग्रामीण-शहरी अंतर में 2020 में गिरावट परिलक्षित हुई।
- माल एवं सेवा कर वसूली : माल एवं सेवा कर (GST) की मासिक वसूलियां माल एवं सेवा कर लागू होने के समय से अब तक पिछले 3 माह से लगातार बढ़ कर दिसंबर 2020 में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुँच कर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गई।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	29 जनवरी, 2021 के दिन बिलियन रुपए	29 जनवरी, 2021 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	4306005	590185
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3992516	547218
(ख) सोना	264803	36294
(ग) विशेष आहरण अधिकार	11006	1,508
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	37679	5165

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

फरवरी, 2021 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.20100	0.21700	0.28200	0.40300	0.53300
जीबीपी	0.00100	0.1	0.1606	0.2215	0.2813
यूरो	-0.53000	-0.530	-0.510	-0.470	**-0.430**
जापानी येन	-0.05250	-0.045	-0.045	-0.038	-0.025
कनाडाई डालर	0.62000	0.516	0.626	0.756	0.883
आस्ट्रेलियाई डालर	0.07600	0.100	0.167	0.320	0.470
स्विस फ्रैंक	-0.70750	-0.710	-0.674	-0.615	-0.550
डैनिश क्रोन	-0.14680	-0.1671	-0.1662	-0.1528	-0.1264
न्यूजीलैंड डालर	0.30250	0.335	0.458	0.578	0.703
स्वीडिश क्रोन	-0.05400	-0.031	0.009	0.066	0.130
सिंगापुर डालर	0.24900	0.300	0.375	**0.478**	0.585
हांगकांग डालर	0.27570	0.307	0.349	0.427	0.535
म्यामार	1.90000	1.900	1.990	2.100	2.200

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

विधिक संस्था अभिनिर्धारक (Legal Entity Identifier)

सम्पूर्ण विश्व में वित्तीय लेनदेनों से जुड़े पक्षकारों की विशिष्ट रूप से पहचान करने हेतु प्रयुक्त होने वाली 20 अंकों की एक संख्या, विधिक संस्था अभिनिर्धारक (LEI) की संकल्पना वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डाटा प्रणालियों की गुणवत्ता एवं यथार्थता बढ़ाने के लिए की गई थी। संस्थाएं विधिक संस्था अभिनिर्धारक की हैसियत वैश्विक विधिक संस्था प्रतिष्ठान (GLEIF) द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी स्थानीय परिचालन इकाई (LOU) से प्राप्त कर सकती हैं। भारत में विधिक

संस्था अभिनिर्धारक की हैसियत भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधीन विधिक संस्था अभिनिर्धारक हैसियत जारीकर्ता के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त विधिक संस्था अभिनिर्धारक इंडिया लिमिटेड (LEIL) से प्राप्त की जा सकती है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

हानि रोध सीमा

हानि रोध सीमा धन की एक ऐसी रकम का संकेत करती है जिससे किसी पोर्टफोलियो की एक अवधि में होने वाली बाजार हानि अधिक नहीं होनी चाहिए। हानि रोध सीमा व्यापारियों को हानि वहन करनेवाले व्यापार के लिए एक निर्गम बिन्दु नियत करने में समर्थ बनाती है। यह एक ऐसा जोखिम प्रबंधन साधन है जो इक्विटी बाजार में भी उपयोगी होता है। इसे घटी हानि सीमा (cut loss limit) भी कहा जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

फरवरी/ मार्च, 2021 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अग्रीमों का मूल्यांकन एवं उनकी पुनरसंरचना	13-14 फरवरी, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित
अनर्जक आस्ति प्रबंधन पर कार्यक्रम	15 - 17 फरवरी, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा - रूपरेखा, सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबन्धन तथ साइबर अपराधों की रोकथाम	20 - 21 फरवरी, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित
धन-शोधन निवारण / अपने ग्राहक को जानिए पर कार्यक्रम	22 - 23 फरवरी, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	23 - 25 फरवरी, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित

प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक	2 - 4 मार्च, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की महिला अधिकारियों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम	8 मार्च, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन व्यावसायिक	9 - 11 मार्च, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

मई/जून, 2021 परीक्षाओं से संशोधित सीएआईआईबी के चयनात्मक विषय

संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सीएआईआईबी के चयनात्मक विषयों की संख्या 11 विषयों से घटाकर 6 विषय कर दी गई है। मई/जून 2021 और उसके बाद से संचालित परीक्षाओं के लिए छः चयनात्मक विषय यथा - खुदरा बैंकिंग, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, केंद्रीय बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन उपलब्ध कराये जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से ही ग्यारह में से कोई भी एक ऐसा चयनात्मक विषय चुन रखे हैं, जो मई/जून, 2021 की परीक्षाओं से हटा दिये गए हैं, उन्हें ऊपर वर्णित 6 चयनात्मक विषयों में से कोई भी एक विषय चुनना होगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हटाये गए चायनात्मक विषयों में से किसी विषय को लेकर सीएआईआईबी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उत्तीर्ण विषय की मान्यता कायम रखने की अनुमति होगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in. देखें।

11वां आर॰ के॰ तलवार स्मारक व्याख्यान

संस्थान द्वारा 11वें आर॰ के॰ तलवार स्मारक व्याख्यान का आयोजन 9 फरवरी, 2021 को सायं 4.00 बजे प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से किया गया। उक्त व्याख्यान भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डा॰ कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन द्वारा दिया गया। इस व्याख्यान का विषय था - "इंडियाज़ कोविड रिस्पोंन्स"। प्रौद्योगिकी पर आधारित इस

व्याख्यान में विभिन्न उद्योगों से 300 से अधिक व्यावसायिकों ने भाग लिया जिससे उन्हें उक्त विषय में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई।

सूक्ष्म एवं स्थूल शोध के लिए प्रस्ताव 2020-21 आमंत्रित

संस्थान वर्ष 2020-21 के लिए सूक्ष्म आलेख एवं स्थूल शोध प्रस्ताव आमंत्रित करता है। वे विषय जिन पर सूक्ष्म/स्थूल शोध प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं वेबसाइट में सूचीबद्ध किए गए हैं। आलेख/प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2021 है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

हीरक जयंती शोध फ़ेलोशिप के लिए प्रस्ताव 2020-21 आमंत्रित

संस्थान भारत और विदेशों में बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में हुई अद्यतन घटनाओं पर शोध अध्ययन करने हेतु हीरक जयंती बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप के तहत प्रस्ताव आमंत्रित करता है। शोध प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2021 है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf. Org. in. देखें।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ

संस्थान ने परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ (Remote Proctored) आरंभ कर दी हैं। परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ अभ्यर्थियों को घर बैठे परीक्षाओं में शामिल होने और उसके साथ ही उनके ज्ञान के आधार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती हैं। 8 प्रमाणपत्र परीक्षाओं के लिए परोक्ष रूप से निरीक्षण अगस्त, 2020 में किया गया और 13 प्रमाणपत्र परीक्षाएँ सितंबर, 2020 में आयोजित की गईं। परीक्षा दूसरे और चौथे शनिवारों तथा सभी रविवारों को संचालित की जाटी हैं। परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परोक्ष रूप से निरीक्षण स्वत: परोक्ष निरीक्षण एवं भौतिक परोक्ष निरीक्षण प्रक्रियाओं के संयोजन में किया जात है। इस विधि की परीक्षा से संबन्धित महत्वपूर्ण अनुदेश तथा बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न संस्थान की वेबसाइट पर डाले गए हैं। विस्तृत

जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें : http://iibf.org.in/exam related notice.asp

नया पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016" पर विशेष बल के साथ बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान" विषय पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। पहली परीक्षा की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इस पाठ्यक्रम का ध्येय है बैंकिंग व्यावसायिको एवं कर्मचारियो के बीच उक्त संहिता की समझ विकसित करना, बैंकरों को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधियों
तथा किसी दिवाला समाधान प्रक्रिया में उनकी भूमिकाओं को निभाने के लिए बेहतर समझ रखने और वाणिज्यिक निर्णयों सहित उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के अत्यंत सावधानी और कर्मठता के साथ सभी हितधारकों के हित में निर्वहन के लिए उनकी सक्षमता को सुदृढ़ करने में समर्थ बनाना।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत करेगा जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी। व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है। संस्थान द्वारा इस अर्हता के विवरण थोड़े ही समय में घोषित किए जाएंगे।

संशोधित सतत व्यावसायिक विकास योजना

संस्थान ने 15 सितंबर, 2020 से विद्यमान सतत व्यावसायिक विकास (CPD) योजना को संशोधित कर दिया है। संस्थान द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, सहभागिता किए गए व्याख्यानों, संगोष्ठियों, वेबिनारों के लिए प्रत्यय पत्रों

(credits) को संशोधित कर दिया गया है। सतत व्यावसायिक विकास योजना में एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रत्यय पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के वैधीकरण की शर्त पर प्रमाणपत्र दिये जाएंगे। संशोधित योजना के अधीन परिणाम घोषित किए जाने की तिथि से प्रारम्भ होकर सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के तहत पंजीकरण की तिथि तक पिछले 9 महीनों में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स से प्राप्त की गई अर्हताएँ प्रत्यय पत्र की पात्र होंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

चार्टर्ड बैंकर संस्थान के साथ सहयोग

संस्थान के साथ एक पारस्परिक मान्यता करार (MRA) हस्ताक्षरित किया था जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने 27 जून, 2017 को चार्टर्ड बैंकर संस्थान के साथ एक ऐसा पारस्परिक मान्यता करार (MRA) हस्ताक्षरित किया था जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के प्रमाणित भारतीय सह-सदस्यों (CAIIB) के लिए उनकी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर संस्थान द्वारा मान्यता दिलाने और चार्टर्ड बैंकर संस्थान की व्यावसायिकता, नैतिक नियमों तथा विनियमन मापांक (module) का अध्ययन कर के चार्टर्ड बैंकर बनने एवं चिंतनशील नियत कार्य (reflective assignment) सफलतापूर्वक पूरा करने में समर्थ बनाने का एक मार्ग खोला गया था। इस पारस्परिक मान्यता करार को आगे बढाते हुये इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के प्रमाणित कनिष्ठ सहयोगियों (JAIIB) के लिए भी जेएआईआईबी व्यावसायिक परिवर्तन मार्ग के माध्यम से चार्टर्ड बैंकर की हैसियत प्राप्त करने का एक मार्ग उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम को घोषित करने की तिथि चार्टर्ड बैंकर संस्थान के परामर्श से शीघ्र ही निर्धारित की जाएगी।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय
(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय

(UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयँ

हमारे तिमाही जर्नल "बैंक क्वेस्ट" के जनवरी –मार्च, 2021 अंक के लिए विषय-वस्तु है: जनवरी - मार्च, 2021 - रोल आफ फाइनैन्सियल सेक्टर इन सपोर्टिंग आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा मेँ कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा
जारी दिशानिर्देशों के बारे मेँ पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों मेँ प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि मेँ कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि
(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों मेँ समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

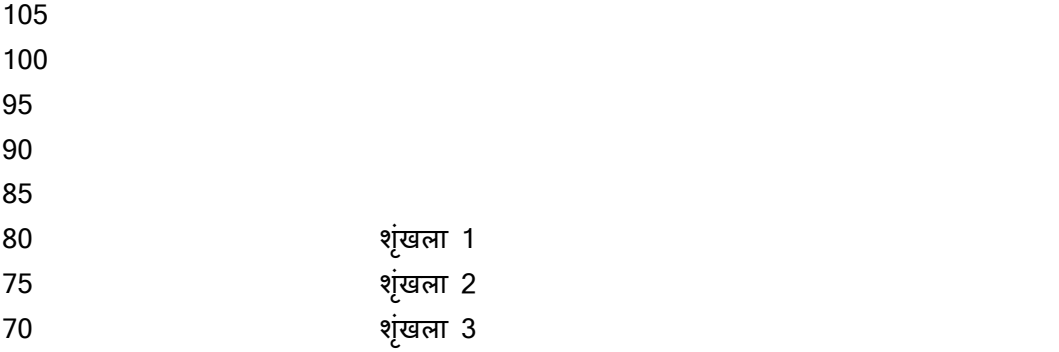

65 शृंखला 4
60

अगस्त, 2020, सितम्बर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवम्बर, 2020, दिसंबर, 2020, जनवरी, 2021
स्रोत : एफबीआईएल

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

6.5
6
5.5
5

जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवंबर, 2020, दिसंबर, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी, 2021

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

49000.00
47000.00
45000.00
43000.00
41000.00
39000.00
37000.00

अगस्त, 2020, सितम्बर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवम्बर, 2020, दिसंबर, 2020, जनवरी, 2021
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

11.5
11
10.5

10
9.5
जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवंबर, 2020, दिसंबर, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड जनवरी, 2021

बैंक ऋण वृद्धि %

7
6.5
6
5.5
5

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक
जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवंबर, 2020, दिसंबर, 2020

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : विश्व केतन दास

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.